

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 29.04.2016 के कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 29.04.2016 को विश्वविद्यालय के सभागार में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ० जोराम बेगी, ईटानगर	सदस्य
3.	डॉ० एस.बी. कोनाले, मैसूर	सदस्य
4.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल, रायपुर	सदस्य
5.	प्रो० व्ही. एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
7.	प्रो० पी.के. दास	सदस्य
8.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
9.	प्रो० जे.एस.दांगी	सदस्य
10.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
11.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
12.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
13.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
14.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
15.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
16.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
17.	प्रो० प्रदीप शुक्ला	सदस्य
18.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
19.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
20.	प्रो० एस.पी. सिंह	सदस्य
21.	प्रो० हरिश कुमार	सदस्य
22.	प्रो० व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
23.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
24.	प्रो० आई.डी. तिवारी	सदस्य
25.	प्रो० एस.एन. साहा	सदस्य
26.	डॉ० आर.के. मेहता	सदस्य
27.	डॉ० सी एस वजलवार	सदस्य
28.	डॉ० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
29.	डॉ० एस.एस. धूरिया	सदस्य
30.	डॉ० नीलकांत पाणिगृही	सदस्य
31.	डॉ० एम.सी. राव	सदस्य
32.	डॉ० ए.के. दीक्षित	सदस्य
33.	डॉ० रश्मि अग्रवाल	सदस्य
34.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
35.	डॉ० राजेश भूषण	सदस्य
36.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
37.	डॉ० सीमा राय	सदस्य
38.	श्री निशांत बेहार	सदस्य

39.	डॉ० घनश्याम दुबे	सदस्य
40.	डॉ० राकेश पाण्डेय	सदस्य
41.	डॉ० बॉबी ब्रम्हे पाण्डेय	सदस्य
42.	कु. शालिनी मेनन	सदस्य
43.	डॉ० यू एन सिंह	सदस्य
44.	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	सदस्य
45.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. श्री प्रदीप दास पाण्डेय, बिलासपुर
02. प्रो० अरुण कमल, पटना विश्वविद्यालय, पटना
03. डॉ० एच.एस. बोड़खे, सह-आचार्य, फार्मेसी विभाग

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष/कुलपति महोदया ने सभी सदस्यों का स्वागत किया, इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया ने सहयोजित सदस्यों का संक्षिप्त परिचय दिया। तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद द्वारा अंकित किया गया कि बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त को पत्र क्रमांक 107/विद्यापरिषद/बै.प्र./2015 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा समस्त सम्माननीय सदस्यों को प्रेषित करते हुये कार्यवृत्त में कोई संशोधन अथवा समावेश की आवश्यकता संबंधी जानकारी आमंत्रित किया गया था। उक्त पत्र के संदर्भ में 04 सम्माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों का अवलोकनोपरान्त प्रत्येक सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विद्यापरिषद द्वारा सर्वानुमति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

01. विद्यापरिषद द्वारा प्रो० एस.एन. साहा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष कैमिकल इंजीनियरिंग की, उनके पत्र क्र.480/कैमि.इंजी./2015 दिनांक 10.12.2015 में उल्लेखित असहमति को दर्ज की गई।
02. प्रो० हरीश कुमार ने उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्राप्त होने की सूचना दी तथा प्रशासन को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रो० हरीश कुमार ने विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2014 के विषय क्र.-2 से संबंधित अभिलेख अद्यतन प्राप्त न होने की भी सूचना दी जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें उक्त जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
03. प्रो० एस.पी. सिंह के द्वारा बी.टेक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015-16 में विद्यापरिषद द्वारा पारित अंक योजना में कतिपय स्पष्टीकरण हेतु सूचना प्रेषित की थी। उन्हें सूचना प्रदान की गई कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना प्रसारित की जा चुकी है।
04. श्री निशांत बेहार ने विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015 के विषय क्रमांक-01 के अंतर्गत पारित निर्णय के, पूर्व में कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदित किये गये अध्ययन अवकाश संबंधी नियमावली से, विरोधाभास होने के कारण 24.04.2015 की विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक की उक्त निर्णय की पुनः समीक्षा करने का निवेदन किया था।

निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण पुनः समीक्षा हेतु विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विचारोपरान्त सर्वानुमति से उपरोक्त चार बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का समावेश करते हुये दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.-02

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2015 का पालन प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2015 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन उपरान्त अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-03

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-04.

एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर बी.एससी.-एम.एससी. (मानवशास्त्र) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता में संशोधन हेतु मानव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर बी.एससी.-एम.एससी. (मानवशास्त्र) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता में संशोधन हेतु मानव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए तत्संबंधी जारी परिपत्र की पुष्टि की जाय।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्य द्वारा विद्यापरिषद का ध्यान आकर्षित कराया गया कि मानवशास्त्र विषय विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत जिस समूह के अंतर्गत सम्मिलित है, उसी समूह के अंतर्गत उक्त विषय को सम्मिलित रखा जाना उचित होगा।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-05.

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2015 के विषय क्र.-21 के निर्णयानुसार गठित समिति के प्रतिवेदन/अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद द्वारा अंकित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित डिग्रियों की नामावली अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी समीक्षा हेतु वरिष्ठतम अधिष्ठाता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति का प्रतिवेदन/अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 03.03.2016 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-06.

एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के अधीन शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों की अवधि में परिवर्तन हेतु अध्यादेश में संशोधन पर विचार एवं “अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति” गठन की पुष्टि।

विद्यापरिषद द्वारा अंकित किया गया कि विभाग स्तरीय अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षर नहीं है। इसकी प्रमाणिकता हेतु सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है।

यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग/संकाय स्तर से अध्यादेश में संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव प्रारूपों को “अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति” के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। समिति प्रस्तावित अध्यादेश का विश्लेषण वर्तमान में लागू एवं प्रचलित अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम तथा समय-समय पर लागू किये गये नियमों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अध्यापन एवं परीक्षा योजना को ध्यान में रख कर अपनी अनुशंसा सक्षम निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

यह भी अंकित किया गया कि समिति में संबंधित विभाग के प्रतिनिधि सदस्य का होना आवश्यक है, अतः निर्णय लिया गया कि समिति में संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा विभाग के एक सदस्य का नामांकन समिति में पदेन सदस्य के रूप में किया जाय।

“अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति” के गठन हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को अंतरिम अध्यादेश के रूप में मान्य करते हुये उपाधि की अवधियों में संशोधन कर लिया जाये। अध्यादेश के अन्य प्रावधानों को सक्षम निकायों के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाये।

विषय क्र.-07.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 के विषय क्र-09 के अंतर्गत लिये गये निर्णय अनुसार विभागाध्यक्ष-वानिकी विभाग द्वारा विभिन्न नियामकों/विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ साईंस इन फॉरेस्ट्री की उपाधि की अवधि निर्धारण हेतु प्रस्तुत जानकारी पर विचार करना।

विद्यापरिषद द्वारा अंकित किया गया कि विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अस्पष्ट है। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बैचलर ऑफ साईंस इन फॉरेस्ट्री की उपाधि की अवधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जानकारी/निर्देश प्राप्त किया जाय।

विषय क्र.-08.

गेट (GATE) अर्हता के बिना एम.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद ने अंकित किया कि उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार एम.टेक उपाधि के अध्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जाना है। साथ ही इस हेतु ए.आई.सी.टी.ई. का अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक होगा। समस्त कार्यवाही के उपरान्त उक्त प्रस्तावित प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करना होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्यापरिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि NBA से Accreditation (प्रत्यायन) कराया जाय। संबंधित अध्ययन मण्डलों से इस हेतु अनुशंसा प्राप्त की जाय।

विषय क्र.-09. विश्वविद्यालय में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेल तथा अधिष्ठाता रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पदस्थ किये जाने संबंधी।

उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया, कार्ययोजना एवं विनियम बनाने हेतु समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किया गया।

विषय क्र.-10. ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित अध्यादेश पर विचार संबंधी।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप को विषय क्र.-06 के निर्णय अनुसार गठित “अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति” के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र.-11. शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विचार संबंधी।

शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक-1 “SAIF हेतु गैर योजनान्तर्गत बजट तथा कर्मचारी उपलब्ध कराने संबंधी।” की विस्तृत कार्ययोजना एवं प्रस्ताव विभाग से प्राप्त कर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि शेष निम्नांकित प्रस्तावों पर विचार/अनुशंसा हेतु प्रकरण IQAC के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव क्रमांक-2 “CCOST रायपुर के साथ अनुबंध किये जाने संबंधी।”

प्रस्ताव क्रमांक-3 “GATE/NET-LS उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पी.एचडी. में शामिल किये जाने एवं इस हेतु विश्वविद्यालय के पी.एचडी. विनियम में आवश्यक संशोधन संबंधी।”

प्रस्ताव क्रमांक-4. “UG/PG प्रयोगशालाओं में आवश्यक तकनीकी कर्मचारी प्रदान करने संबंधी।”

यह भी निर्णय लिया गया कि नव गठित IQAC की बैठक यथाशीघ्र आयोजित की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.विषय क्र.01. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर के अनुमोदन पर विचार किया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश के संबंध में प्राप्त सुझावों के साथ अधिष्ठाताओं के द्वारा प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर 2016-17 एवं अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

अवकाश (Vacation) (ग्रीष्मकालीन एवं/या शीतकालीन) की अवधि में विभाग के शिक्षक विभागाध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर अवकाश पर जा सकेंगे।

अध्ययनशाला के अधिष्ठाता/विभाग के विभागाध्यक्ष के अवकाश में जाने की स्थिति में, संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता/विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययनशाला/विभाग के कार्यों का सम्पादन उनके अवकाश में जाने की स्थिति में, वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप किसी अन्य अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को/विभाग के अन्य शिक्षक को अपने दायित्वों को सौंपकर ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे, इस हेतु उन्हें सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

विद्यापरिषद द्वारा बनाये गये उपरोक्त अवकाश नियमों के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकारिक रूप से रोके गये शिक्षकों को उपस्थिति सत्यापन उपरान्त नियमानुसार अनुपातिक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

अ.अ.विषय क्र.02. डॉ० हरीत झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "A Proposal received from Meco Technologies Pvt. Ltd. for Technical Assistant/Collaboration with Dr. Harit Jha for developing specialized technology in pollution control and industrial effluent treatment systems." पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्ताव को "Industry Interface Cell" के समक्ष विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाय।

अ.अ.विषय क्र.03. प्रबंध अध्ययन विभाग के अंतर्गत स्थापित यंग मैनेजर क्लब के विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2006 से लागू सदस्यता शुल्क रुपये 500/- को वृद्धि करते हुए शैक्षणिक सत्र 2016-17 से रुपये 1000/- लिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रबंध अध्ययन विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

समस्त विषय वस्तुओं पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा सहयोजित सदस्यों से उनके अनुभव एवं विचारों को विद्यापरिषद के सदस्यों से साझा करने का अनुरोध किया गया।


सर्वप्रथम डॉ० जोराम बेगी ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद में उन्हें सहयोजित करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए विद्यापरिषद के महत्व को

रेखांकित किया। आपने विद्यापरिषद के अनुशासन एवं प्रत्येक विषय वस्तु के प्रति माननीय सदस्यों की गंभीरता की प्रशंसा की। आपने इस बात पर भी बल दिया कि किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रमों की क्षेत्रीय सांस्कृतिक आवश्यकताओं से सामंजस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने आज की परिस्थिति में अकादमिक एवं शोध के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इसके उपरान्त प्रो० सत्यनारायण अग्रवाल ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद में उन्हें सहयोजित करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए शोध के क्षेत्र में सैफ (SAIF) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा CCOST के साथ Collaboration के प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताया तथा कहा इससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। आपने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि विद्वतजनों, विशेष कर शिक्षकों, को सामाजिक समस्याओं के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए।

अंत में डॉ० एस.बी. कोनाले ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद में उन्हें सहयोजित करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए यह आह्वान किया कि देश के समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नेतृत्व कैसे हो इस बारे में हमें गंभीर विचार एवं कड़ी मेहनत करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ करना चाहिए। आपने सुझाया कि यह नेतृत्व समाज निर्माण में भी विश्वविद्यालय की भूमिका, अकादमिक सामाजिक दायित्व (Academic Social Responsibility), Nutrition, साफ-सफाई Educational Diagnostics के माध्यम से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपने हॉस्टल मैनेजमेंट जैसे विषयों में संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करने पर भी बल दिया।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई



(प्रो. मनीष श्रीवास्तव)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव



(प्रो. अंजिला गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष